कर प्रोत्साहन और निवेश: रियायत से वास्तविक मूल्यवर्धन तक

अगस्त 2026 | समाचार संदर्भ: 17 अगस्त 2026 | GS-III

निवेश आकर्षित करने के लिए कर में छूट देना एक नीति-उपाय है, अपने-आप सफलता नहीं। यह देखना जरूरी है कि रियायत से कौन-सी नई आर्थिक गतिविधि आती है, देश में कितना मूल्य जुड़ता है और राजस्व पर उसका क्या असर पड़ता है। स्पष्ट शर्तें तथा पूर्वानुमेय नियम इस संतुलन के आधार हैं।

खबरों में क्यों

Taxation and Other Laws (Amendment) Act, 2026 को 17 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इसने जून के आयकर-संशोधन अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया और निवेश कोष, कुछ विदेशी कंपनियों, डेटा सेंटर तथा संबंधित कर व्यवस्थाओं में बदलाव किए। अगस्त के शुरुआती विधेयक की खबर को अब केवल लंबित प्रस्ताव बताना सही नहीं है। साथ ही, अधिनियम की सामान्य प्रभावी तारीख और कुछ खास प्रावधानों की अलग तारीखों को मिलाना भी गलत होगा।

कर निश्चितता का आर्थिक अर्थ

कर निश्चितता का अर्थ केवल कम दर नहीं, बल्कि यह स्पष्ट होना है कि किस आय पर कौन-सी शर्त लागू होगी और प्रशासन उसका पालन कैसे कराएगा। लंबी अवधि की परियोजना में नियम अस्पष्ट हों तो भविष्य की लागत का आकलन कठिन हो सकता है। भरोसेमंद प्रक्रिया निवेश के लिए रियायत जितनी महत्वपूर्ण हो सकती है।

मुख्य तथ्य

विदेशी कोष और भारतीय प्रबंधक: भारत से प्रबंधित पात्र विदेशी निवेश कोष के लिए कुछ संरचनात्मक शर्तें हटाई गईं। उद्देश्य प्रबंधन गतिविधि के कारण ही करयोग्य व्यावसायिक संबंध बनने की अनिश्चितता घटाना है। इससे हर विदेशी कोष की हर भारतीय आय करमुक्त नहीं हो जाती; शेष पात्रता और सूचना संबंधी दायित्व बने रहते हैं।

निर्माण और डिजिटल अवसंरचना: इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुबंध निर्माण में निर्दिष्ट विदेशी कंपनियों को उपकरण आदि उपलब्ध कराने से संबंधित छूट की अवधि बढ़ाई गई। डेटा सेंटर की पात्रता में भारतीय कंपनी द्वारा स्वामित्व के साथ पट्टे पर संचालन को भी स्थान मिला। इन व्यवस्थाओं को सभी कंपनियों की बिना शर्त छूट न समझें।

समय और पात्रता की अलग कसौटी: कानून में सामान्यतः 1 अप्रैल 2026 से प्रभाव का प्रावधान है, जबकि कुछ निर्दिष्ट हीरा-व्यापार और इलेक्ट्रॉनिक घटक भंडारण संबंधी व्यवस्थाएँ 1 अक्टूबर 2026 से हैं। इसलिए हर बदलाव को स्वीकृति के दिन से समान रूप से लागू बताना सही नहीं है।

प्रोत्साहन की गुणवत्ता कैसे परखी जाए?

अतिरिक्त निवेश का सवाल: रियायत उसी गतिविधि को अधिक लाभ दे जो उसके बिना भी होती, तो राजस्व की लागत के बदले नया लाभ सीमित रह सकता है। नई क्षमता, कौशल और तकनीक का आकलन उपयोगी होगा।

घरेलू मूल्यवर्धन: सिर्फ उत्पादन या निर्यात का आकार पर्याप्त नहीं। स्थानीय आपूर्तिकर्ता, शोध, कुशल रोजगार और तकनीकी क्षमता से अर्थव्यवस्था में टिकाऊ लाभ जुड़ सकता है।

सरलता और दुरुपयोग पर रोक: बहुत जटिल शर्तें वास्तविक निवेश रोक सकती हैं, जबकि कमजोर जाँच कृत्रिम व्यवस्थाओं को लाभ दे सकती है। स्पष्ट पात्रता और जोखिम-आधारित सत्यापन दोनों जरूरी हैं।

विश्लेषण और आगे की राह

कर नीति को ऊर्जा, परिवहन, कौशल और नियामकीय स्थिरता के साथ देखना चाहिए। अकेली छूट उन बाधाओं को दूर नहीं करती जो परियोजना को शुरू होने या प्रतिस्पर्धी बनने से रोकती हैं। रियायतों की समयबद्ध समीक्षा में राजस्व की अनुमानित लागत और अतिरिक्त निवेश का प्रमाण साथ रखा जाए। समान आर्थिक गतिविधियों के साथ अनुचित असमानता और केवल कर-लाभ पाने के लिए लेनदेन का कृत्रिम ढाँचा बनाने के जोखिम पर ध्यान हो। निवेशक को सरल सूचना मिले, लेकिन पात्रता की मूल शर्तें कमजोर न पड़ें। किसी खास कंपनी की देयता तय करने के बजाय यह चर्चा नीति के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन है।

अवधारणा में अंतर

विधेयक का प्रस्तुत होना, संसद से पारित होना और राष्ट्रपति की स्वीकृति अलग चरण हैं। कर रियायत का कानूनी उपलब्ध होना और उससे वास्तविक निवेश बढ़ना भी अलग परिणाम हैं।

मेंस दृष्टि

उत्तर को छूटों की लंबी सूची तक सीमित न रखें। कर निश्चितता, राजस्व की अवसर-लागत, घरेलू क्षमता और प्रमाण-आधारित समीक्षा को जोड़ें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

निवेश आकर्षित करने वाली कर रियायतों की सफलता को केवल निवेश-घोषणाओं से नहीं आँका जा सकता। कर निश्चितता, घरेलू मूल्यवर्धन और राजस्व की अवसर-लागत के संदर्भ में परीक्षण कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: निवेश आकर्षित करने के लिए कर रियायत साधन है; घोषणा से वास्तविक नई क्षमता और टिकाऊ आर्थिक लाभ तक पहुँचने की कसौटी रखें।

मुख्य भाग में: निश्चित नियम और सरल पात्रता से निवेश-योजना में सहायता समझाएँ। रियायत के बिना भी होने वाली गतिविधि और सच में अतिरिक्त निवेश का अंतर रखें। स्थानीय आपूर्तिकर्ता, कौशल, शोध और तकनीकी क्षमता से घरेलू मूल्यवर्धन परखें। राजस्व की अवसर-लागत, समान गतिविधियों के बीच अनुचित अंतर और कृत्रिम कर-व्यवस्थाओं के जोखिम दिखाएँ; घोषणा या कानूनी पात्रता को चालू उत्पादन का प्रमाण न मानें।

निष्कर्ष में: राजस्व लागत और अतिरिक्त क्षमता की समयबद्ध प्रमाण-आधारित समीक्षा सुझाएँ। कर नीति को ऊर्जा, परिवहन, कौशल तथा नियामकीय स्थिरता से जोड़ें; सरल सूचना और जोखिम-आधारित सत्यापन साथ हों, किसी खास कंपनी की देयता या लाभ की गारंटी न दें।

स्रोत

- 17 अगस्त का अधिनियम: राजपत्र पाठ का पुनर्प्रकाशन

- 18 अगस्त: राष्ट्रपति की स्वीकृति का विवरण
- PRS: विधायी क्रम और संशोधनों का सार

याद रखें: रियायत साधन है; टिकाऊ क्षमता, उचित राजस्व-लागत और स्पष्ट नियम लक्ष्य हैं।